न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 237/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/362

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
जगदीशसिंह राजपुरोहित पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आसराबा दूदावतान,अराबा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर 2.उम्मेदसिंह पुत्र सुगनसिंह 3.नरपतसिंह पुत्र सुगनसिंह 4.समदा पत्नि सुगनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आसराबा दूदावतान,अराबा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—

1. श्री रामसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी
2.विप्रार्थी एकपक्षीय।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:—आदेशः—

दिनांक 06/02/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम आसराबा दूदावतान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 512,757/212,831/294,920/523 कुल क्षेत्रफल 6.7017 हैक्टयर व खसरा संख्या 598/53,685/166 कुल क्षेत्रफल 6.3698 हैक्टयर,खसरा संख्या 172, 187,448,449,459 कुल क्षेत्रफल 24.2974 हैक्टयर व खसरा संख्या 703/177,725/193 कुल क्षेत्रफल 0.7123 हैक्टयर व खसरा संख्या 135,306 कुल क्षेत्रफल 32.0430 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम जगदीश पुत्र सुगनसिंह दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीशसिह राजपुरोहित पुत्र सुगनसिंह है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि जगदीश पुत्र सुगनसिंह के स्थान पर सही नाम जगदीशसिह राजपुरोहित पुत्र सुगनसिंह इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन—पत्र पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यावाही पारित की गई। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहें।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम आसराबा दूदावतान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 512,757/212,831/294,920/523 कुल क्षेत्रफल 6.7017 हैक्टयर व खसरा संख्या 598/53,685/166 कुल क्षेत्रफल 6.3698 हैक्टयर,खसरा संख्या 172, 187,448,449,459 कुल क्षेत्रफल 24.2974 हैक्टयर व खसरा संख्या 703/177,725/193 कुल क्षेत्रफल 0.7123 हैक्टयर व खसरा संख्या 135,306 कुल क्षेत्रफल 32.0430 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम जगदीश पुत्र सुगनसिंह दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीशसिह राजपुरोहित पुत्र सुगनसिंह है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अशुद्व प्रविष्टि एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीशसिंह राजपुरोहित दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी के अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व नाम जगदीश पुत्र सुगनसिंह के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जगदीशसिंह राजपुरोहित पुत्र सुगनसिंह इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

4. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम आसराबा दूदावतान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 512,757/212,831/294,920/523 कुल क्षेत्रफल 6.7017 हैक्टयर व खसरा संख्या 598/53,685/166 कुल क्षेत्रफल 6.3698 हैक्टयर,खसरा संख्या 172, 187,448,449,459 कुल क्षेत्रफल 24.2974 हैक्टयर व खसरा संख्या 703/177,725/193 कुल क्षेत्रफल 0.7123 हैक्टयर व खसरा संख्या 135,306 कुल क्षेत्रफल 32.0430 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र सुगनसिंह इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड प्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रति,आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड प्रति एवं बैक डायरी प्रति में प्रार्थी का नाम जगदीशसिंह राजपुरोहित दर्ज है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्व नाम प्रविष्टि दर्ज हो रखी है,जो कि प्रार्थी के पिता के फौतदगी नामान्तकरण भरने के दौराने हो रखी है। इसके अलावा विप्रार्थी तहसीलदार कल्याणपुर ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि जगदीश व जगदीशसिंह राजपुरोहित एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीशसिंह राजपुरोहित है,लेकिन प्रार्थी के पिता के देहान्त होने पर फौतदगी नामान्तकरण पारित

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करते समय प्रार्थी का गलत नाम जगदीश दर्ज करने के कारण रिकॉर्ड में उक्त अशुद्ध नाम चला आ रहा है,प्रार्थी का नाम दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा की गई है। इस प्रकार प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

05.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम जगदीश के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जगदीशसिंह राजपुरोहित दुरूरत करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आसराबा दूदावतान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 512, 757 / 212,831 / 294,920 / 523 कुल क्षेत्रफल 6.7017 हैक्टयर व खसरा संख्या 598 / 53.685 / 166 कुल क्षेत्रफल 6.3698 हैक्टयर,खसरा संख्या 172, 187,448,449,459 कुल क्षेत्रफल 24.2974 हैक्टयर व खसरा संख्या 703 / 177,725 / 193 कुल क्षेत्रफल 0.7123 हैक्टयर व खसरा संख्या 135,306 कुल क्षेत्रफल 32.0430 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि जगदीश पुत्र सुगनसिंह के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जगदीशसिंह राजपुरोहित पुत्र सुगनसिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

06/02/2026
(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06/2/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

06/02/2026
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा